

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

बिनिता कुमारी

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2015 की दीवानी समीक्षा सं. 11

में

2019 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 280

29 जुलाई, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे)

हेडनोट्स

अपील- उस आदेश के खिलाफ दायर की गई, जो सिविल रिव्यू से उत्पन्न सिविल रिट में पारित किया गया था, जिसमें माननीय एकल न्यायाधीश ने सिविल रिव्यू आवेदन को खारिज कर दिया था।

अपीलकर्ता और उत्तरदाता संख्या 9 (मिथिला कुमारी) के बीच विवाद बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2006 के तहत पंचायत शिक्षक के पद पर बने रहने को लेकर हुआ। दोनों ही पक्ष एक ही पद पर नियुक्ति का दावा कर रहे थे, जिससे दोनों पक्षों की ओर से कई बार कानूनी कार्यवाही हुई।

निर्णय- ऐसे पदों के लिए योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने चाहिए और भर्ती प्रक्रिया की समय-सारणी को निश्चितता और स्पष्टता के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिए। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि चयन किन नियमों के तहत किया जाएगा और यदि नियम नहीं हैं, तो वह प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए जिसके तहत चयन किया जाएगा। (पैरा 10)

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पत्र में श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं है। पंचायत शिक्षक के पद के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था और यह पात्र उम्मीदवारों की व्यापक भागीदारी से वंचित था, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की भावना और आदेश के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कई निर्णयों के प्रकाश में, शिक्षक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन आवश्यक है, भले ही वह अस्थायी पद के लिए हो। (पैरा 13)

उत्तरदाताओं द्वारा पारित नियुक्ति आदेश संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन करते हैं। (पैरा 15)

राज्य के अधिकारियों ने गलती की है, इसलिए यह उचित है कि राज्य पर अनुकरणीय लागत लगाई जाए क्योंकि राज्य के अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जानते हैं कि हमेशा संविधान के पक्ष में अनुमान लगाया जाता है। (पैरा 16)

न्याय दृष्टान्त

रेणु एवं अन्य बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 979/2014); उड़ीसा राज्य एवं अन्य बनाम ममता मोहंती, (2011) 3 एससीसी 436; सचिव, सरकार शिक्षा विभाग (प्राथमिक) एवं अन्य बनाम भीमेश उर्फ भीमप्पा (2021) 20 एससीसी 707 में रिपोर्ट किया गया

अधिनियमों की सूची

बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री हर्ष अनुज, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री शशि शेखर तिवारी, अधिवक्ता; श्री विनय कुमार मिश्रा, एसी से एएजी-15

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया : अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2015 की दीवानी समीक्षा सं. 11
में**

2019 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 280

=====

बिनिता कुमारी पिता- अवध किशोर सिंह निवासी- गाँव- सघर, डाकघर-
मगहर, थाना- भगवानपुर हाट, जिला सीवान

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. समाहर्ता सीवान।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना) सिवान।
5. प्रखण्ड विकास अधिकारी भगवानपुर हाट खण्ड जिला सिवान।
6. प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी भगवानपुर हाट ब्लॉक, जिला-सिवान।
7. मुखिया, ग्राम पंचायत राज, सघर सुल्तानपुर दक्षिण भगवानपुर हाट ब्लॉक, जिला सिवान।

8. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, सघर सुल्तानपुर दक्षिण, भगवानपुर हाट प्रखण्ड, जिला- सिवान।
9. मिथिला कुमारी पति श्री सुरेश कुमार सिंह निवासी- गाँव- जजौली, डाकघर बलसोही, थाना- मशरख, जिला सिवान।

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री हर्ष अनुज, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री शशि शेखर तिवारी, अधिवक्ता

श्री विनय कुमार मिश्रा, एसी से एएजी-15

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे

सीएवी निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे)

दिनांक: 29-07-2024

वर्तमान एलपीए, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 23465/2011 से उत्पन्न दीवानी समीक्षा संख्या 11/2015 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 07.02.2018 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने तथ्यों और कानूनों की गलत व्याख्या के आधार पर दीवानी समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया था और सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 23465/2011 से उत्पन्न दीवानी समीक्षा संख्या 11/2015 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 07.02.2018 के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

2. उत्तरदाता सं. 9/मिथिला कुमारी जो 2011 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 23465 में रिट याचिकाकर्ता थीं, ने निम्नलिखित राहतों के लिए उक्त रिट याचिका दायर की है:-

(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए, जिसमें उत्तरदाता अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत राज, सघर सुल्तानपुर दक्षिणी, भगवानपुर हाट ब्लॉक, जिला-सीवान के अंतर्गत पंचायत शिक्षक के पद पर बहाल करें। निजी उत्तरदाता संख्या 9 के चयन को निरस्त करने के बाद, जिसे याचिकाकर्ता के स्थान पर अवैध रूप से पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है और जो उत्तरदाता संख्या 7 और 8 की मिलीभगत से सेवा में बना हुआ है, जिन्होंने अवैध कदम उठाए हैं और इस प्रकार याचिकाकर्ता के दावे को नकार दिया है।

(ii) संबंधित उत्तरदाता अधिकारियों को निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट जारी करने के लिए याचिकाकर्ता को उस तारीख से वेतन का भुगतान करें जब वह इस पद पर शामिल हुई थी और उसे सागर सुल्तानपुर दक्षिण पंचायत के तहत प्राथमिक विद्यालय, बाईस कठ्ठा में पंचायत शिक्षक के पद पर सेवा में रखा गया था और आगे संबंधित प्रत्यर्थी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए जिन्होंने याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान किया है और जिसके कारण उसे अनावश्यक

मुकदमेबाजी करने और मुकदमे की लागत का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया है।

(iii) किसी भी अन्य राहत या राहत के लिए जिसे यह माननीय न्यायालय उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझ सकता है जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार है।

3. वर्तमान मामले के संक्षिप्त रूप से बताए गए तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता/बिनिता कुमारी और उत्तरदाता सं. 9/मिथिला कुमारी बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियुक्ति और सेवा स्थिति) नियम, 2006 के संदर्भ में पंचायत शिक्षक के पद पर बने रहने के संबंध में जहां वे दोनों एक ही पद के खिलाफ नियुक्ति का दावा कर रहे थे, जिसके कारण दोनों पक्षों की ओर से कई दौर की मुकदमेबाजी हुई।

4. 2007 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 9219 अपीलकर्ता/बिनिता कुमारी द्वारा दायर किया गया था जब उन्हें 03.04.2007 पर एकपक्षीय रूप से बर्खास्त कर दिया गया और बर्खास्तगी की अवधि के दौरान, उत्तरदाता सं. 2011 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 23465 में 9/रिट याचिकाकर्ता 04.04.2007 पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, वह बीमार पड़ गई और छुट्टी ले ली और बीमारी से उबरने के बाद उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण 2008 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 2040 दायर किया गया और आदेश का प्रभाव अपीलकर्ता और उत्तरदाता सं. 9 के कारण उत्तरदाता सं. 9 द्वारा 2011 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 23465 दाखिल किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता द्वारा 2014 की एल.पी.ए. संख्या 1154 की गई, लेकिन अपील में निर्णय और आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन दायर करने

की स्वतंत्रता के साथ उक्त एल. पी. ए. को वापस लेने की अनुमति मांगी और खंड पीठ ने वापस ली गई अपील का निपटारा करते हुए अपीलकर्ता को समीक्षा दायर करने की स्वतंत्रता दी। इसके बाद, अपीलकर्ता ने 2011 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 23465/2011 से उत्पन्न दीवानी समीक्षा संख्या 11/2015 दायर की, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया। अतः वर्तमान एल. पी. ए.।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय और आदेश कानून में गलत है और मामले के तथ्यों के विपरीत है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस बात की सराहना करने में विफल रहे हैं कि अपीलकर्ता को कभी भी बहाल नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें नियुक्त किया गया है। आवेदन प्राप्त करने वाले रजिस्टर से यह स्पष्ट है कि वह दिव्यांग श्रेणी में है और वह उक्त श्रेणी के लिए महिला श्रेणी में एकमात्र उम्मीदवार थी और उसके पास उक्त श्रेणी के तहत उचित रूप से नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं को पर्याप्त अवसर दिए बिना समाप्त कर दिया गया था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि 2015 की दीवानी समीक्षा संख्या 11 का निर्णय लेते समय विद्वान एकल न्यायाधीश ने पात्रता मानदंडों को ध्यान में नहीं रखा है जिसके लिए अपीलकर्ता को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और मुकदमेबाजी के दौरान उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। परामर्श में प्रत्यर्थी सं. 9 ने विकलांग श्रेणी के खिलाफ दावा नहीं किया है, बल्कि उसने सामान्य श्रेणी (प्रशिक्षित शिक्षक) के खिलाफ दावा दर्ज किया है। इस तरह, अपीलकर्ता नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार है और उसकी नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने बिहार

पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियुक्ति और सेवा शर्त) नियम, 2006 में उल्लिखित सभी योग्य मानदंडों को पूरा किया है।

6. उत्तरदाता सं. 9 की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। यह उत्तरदाता सं. 9 द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पंचायत शिक्षक के पद के लिए विकलांग कोटे के तहत वह शारीरिक रूप से सबसे सक्षम उम्मीदवार थीं, लेकिन अधिकारियों ने मनमाने ढंग से एक अप्रशिक्षित उम्मीदवार बिनिता कुमारी/अपीलकर्ता को नियुक्त किया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पंचायत शिक्षक नियम के अनुसार, प्रखंड विकास अधिकारी सक्षम प्राधिकारी थे और उनकी जांच और निर्देश पर अपीलकर्ता का चयन रद्द कर दिया गया था। न्यू प्राइमरी स्कूल, बाईस कट्ठा में नियुक्त एकमात्र शिक्षक और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्तरदाता सं. 9 लकवाग्रस्त हमले का शिकार हुए और चिकित्सा आधार पर छुट्टी पर चले गए, लेकिन बीमारी से उबरने के बाद उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण 2008 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2040 दाखिल किया गया, जिसे 25.03.2009 को संबंधित उत्तरदाता को उनके तुरंत शामिल होने को स्वीकार करने के निर्देश के साथ अनुमति दी गई और सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि अपीलकर्ता/बिनिता कुमारी ने इस माननीय न्यायालय से 2007 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 9219 में पारित दिनांक 19.02.2008 के आदेश के माध्यम से उनकी सेवा समाप्ति को निरस्त करने का आदेश भी प्राप्त किया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता सं. 9 शारीरिक रूप से विकलांग प्रशिक्षित उम्मीदवार है जबकि अपीलकर्ता प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं है और नियम के अनुसार केवल उत्तरदाता संख्या 9 को नियुक्त किया जाना था। इस तरह, प्रत्यर्थी सं. 9 का दावा बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियुक्ति और

सेवा स्थिति) नियम, 2006 के आलोक में पंचायत शिक्षक के पद के लिए यह सही और उचित था।

7. उत्तरदाता सं. 4 की ओर से जवाबी हलफनामा भी दायर किया गया है। जवाबी हलफनामे के कंडिका-11 में उत्तरदाता सं. 9 को उचित ठहराया गया है क्योंकि उसे प्रशिक्षित शिक्षक (विकलांग श्रेणी) के खिलाफ चुना और नियुक्त किया गया है, जबकि अपीलकर्ता अप्रशिक्षित (विकलांग) था और बिहार पंचायत रोजगार नियम, 2006 का नियम 4 (11), को देखते हुए प्रत्यर्थी सं. 9 वैध और उचित है।

8. इस न्यायालय ने 17.05.2024 को विशिष्ट निर्देश दिया है जो निम्नानुसार है:-

राज्य या चयन प्राधिकरण को इसके द्वारा विज्ञापन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है जो अप्रशिक्षित शिक्षक (विकलांग श्रेणी) और प्रशिक्षित शिक्षक (विकलांग श्रेणी) जैसी रक्तियों के वर्गीकरण का खुलासा करता है कि क्या प्रत्येक श्रेणी के अलग-अलग पदों का विज्ञापन किया गया है। यदि ऐसा है तो नौवें उत्तरदाता को अप्रशिक्षित शिक्षक (विकलांग श्रेणी) के खिलाफ चुना और नियुक्त किया गया है, जबकि उसका दावा प्रशिक्षित शिक्षक (विकलांग श्रेणी) के लिए है।

इस मामले को 27.06.2024 को फिर से सूचीबद्ध करें।

9. दिनांक 17.05.2024 के आदेश के अनुसार राज्य के अधिवक्ता ने विज्ञापन की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की। जब विशिष्ट प्रश्न किया

जाता है कि पंचायत शिक्षक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया गया है, तो उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति को पूरा करने के लिए सभी संबंधित लोगों को जिला मजिस्ट्रेट, सीवान द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति प्रस्तुत की, लेकिन राज्य के अधिवक्ता ने इस न्यायालय की उचित सहायता नहीं की क्योंकि उन्होंने न तो कोई प्रति प्रस्तुत की है और न ही कोई विज्ञापन दिया है जो शिक्षक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने का आधार है। उक्त पत्र फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि का संकेत नहीं देता है और यह भी श्रेणीवार या आरक्षणवार रिक्ति के वर्गीकरण का खुलासा नहीं करता है।

10. जब हम सार्वजनिक नियुक्ति की बात करते हैं, तो सार्वजनिक नियुक्ति की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पारदर्शिता की होती है और विज्ञापन के आधार पर पारदर्शिता देखी जा सकती है क्योंकि विज्ञापन में चयन और भर्ती के लिए उपलब्ध पदों की संख्या निर्दिष्ट की जानी चाहिए। ऐसे पदों के लिए योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने चाहिए और भर्ती प्रक्रिया की अनुसूची निश्चितता और स्पष्टता के साथ प्रकाशित की जानी चाहिए। विज्ञापन में उन नियमों को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिनके तहत चयन किया जाना है और नियमों के अभाव में, वह प्रक्रिया जिसके तहत चयन किए जाने की संभावना है। यह मनमानेपन को रोकने और चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के मानदंडों में बदलाव से बचने के लिए आवश्यक है, जिससे दूसरों की कीमत पर किसी को अन्यायपूर्ण रूप से लाभ हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करते समय सीमाएँ निर्धारित की

हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार "पिछले दरवाजे से नियुक्तियाँ या नियमों के विरुद्ध नियुक्ति" की निंदा की है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रेणु और अन्य बनाम जिला और सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी और एक** अन्य कंडिका 16 और 17 पर (2014 की नागरिक समीक्षा सं. 979) के मामले में सार्वजनिक रोजगार के मुद्दों पर सख्ती से विचार किया है जो निम्नानुसार है:-

"16. सार्वजनिक नियुक्ति की एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता पारदर्शिता है। इसलिए, विज्ञापन में चयन और भर्ती के लिए उपलब्ध पदों की संख्या निर्दिष्ट होनी चाहिए। ऐसे पदों के लिए योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने चाहिए और भर्ती प्रक्रिया की अनुसूची निश्चितता और स्पष्टता के साथ प्रकाशित की जानी चाहिए। विज्ञापन में उन नियमों को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिनके तहत चयन किया जाना है और नियमों के अभाव में, वह प्रक्रिया जिसके तहत चयन किए जाने की संभावना है। यह मनमानेपन को रोकने और चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के मानदंडों में बदलाव से बचने के लिए आवश्यक है, जिससे दूसरों की कीमत पर किसी को अन्यायपूर्ण रूप से लाभ हो।

"17. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय के खिलाफ नियुक्ति करते समय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के संदर्भ में सार्वजनिक पद सीमाओं को निर्धारित करने पर एक प्राधिकरण है। इस न्यायालय द्वारा बार-बार जिस बात की

निंदा की गई है, वह है "पिछले दरवाजे से नियुक्तियाँ या नियमों के विरुद्ध नियुक्ति"।

12. उसी निर्णय में, कंडिका 14 के मामले में **उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम ममता मोहंती** (2011) 3 एस. सी. सी. 436 उल्लेख किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी को अवसर की समानता प्रदान करने के संवैधानिक सिद्धांत पर विचार किया है, जिसमें अनिवार्य रूप से यह आवश्यक है कि रिक्ति को पहले से अधिसूचित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि भर्ती की जानकारी को सभी योग्य उम्मीदवारों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में उचित तरीके से प्रसारित किया जाना चाहिए, जिससे समान अवसर का अधिकार प्रभावी होता है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"इसलिए, यह एक तय कानूनी प्रस्थापना है कि किसी भी व्यक्ति को सभी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए बिना अस्थायी या तदर्थ आधार पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यदि कोई नियुक्ति केवल रोजगार कार्यालय से नाम आमंत्रित करके या नोटिसबोर्ड आदि पर एक नोट लगाकर की जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगी। इस तरह का पाठ्यक्रम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिदेश का उल्लंघन करता है क्योंकि यह से वंचित करता है। उम्मीदवार जो पद के लिए पात्र हैं, उन पर विचार किया जा रहा है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नियोजित व्यक्ति वेतन सहित किसी भी राहत का हकदार नहीं है। एक

वैध और कानूनी नियुक्ति के लिए उक्त संवैधानिक आवश्यकता का अनुपालन पूरा किया जाना अनिवार्य है। अनुच्छेद 16 में निहित समानता खंड की आवश्यकता है कि ऐसी प्रत्येक नियुक्ति एक खुले विज्ञापन द्वारा की जाए ताकि सभी पात्र व्यक्ति योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

13. यह स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट, सिवान द्वारा जारी 22.10.2007 दिनांकित पत्र श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि का संकेत नहीं देता है। यह भी स्पष्ट है कि पंचायत शिक्षक के पद के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था और इसमें योग्य उम्मीदवारों की व्यापक भागीदारी का अभाव है और जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की भावना और जनादेश के खिलाफ है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में तदर्थ पद के लिए भी शिक्षक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। परामर्श रजिस्टर के साथ-साथ आवेदन प्राप्त करने वाले रजिस्टर को पढ़ने से, ऐसा प्रतीत होता है कि कई स्थानों पर कटिंग और अंतर्वेशन किए गए हैं जो इंगित करते हैं कि उक्त रजिस्टर प्रकृति में बहुत आकस्मिक हैं और उक्त रजिस्ट्रों की तैयारी पारदर्शिता के उद्देश्य की सेवा नहीं करती है। उक्त रजिस्ट्रों में अंतर्वेशन और कटिंग शिक्षक की नियुक्ति के अनुचित संचालन के लिए अतिसंवेदनशील हैं और इस तरह के अंतर्वेशन के कारण कई विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। जवाबी हलफनामे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि कानून के किस प्रावधान के तहत इन रजिस्ट्रों को बनाए रखा जाता है। उक्त रजिस्टर भी पारदर्शिता की भावना के खिलाफ हैं और सार्वजनिक नियुक्ति में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण बात है ताकि रोजगार का उचित

विज्ञापन किया जा सके और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जा सके।

14. **सरकारी शिक्षा विभाग के सचिव (प्राथमिक) और अन्य बनाम भीमेश उर्फ भीमप्पा** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2021) 20 एससीसी 707 में प्रतिवेदित किया कंडिका 6 पर निम्नानुसार आयोजित किया गया है:-

"6. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार कहा गया है, किसी पद या सेवा के लिए प्रत्येक नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिदेश का सख्ती से पालन करते हुए की जानी चाहिए।

15. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं द्वारा पारित नियुक्ति आदेश संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करते हैं जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता और उत्तरदाता सं. 9 की नियुक्तियाँ रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, 2015 की दीवानी समीक्षा संख्या 11 में पारित 07.02.2018 दिनांकित आदेश और 2011 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.23465 में आदेश को अपास्त किया जाता है।

16. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता और उत्तरदाता संख्या 9 के बीच एक ही पद पर कई दौर की मुकदमेबाजी हुई है और अपीलकर्ता को उक्त पद पर नियुक्त किए जाने के बाद, शुरुआत में, उसे अवसर दिए बिना ही उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं और इसके कारण उसे कई दौर की मुकदमेबाजी करनी पड़ी और उसे बहुत पीड़ा और मानसिक व्यथा का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के लिए

विज्ञापन जारी नहीं करने के लिए राज्य की कार्रवाई पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना है। राज्य की यह कार्रवाई संवैधानिक जनादेश की भावना के खिलाफ है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत आवश्यक है और जब भी सार्वजनिक रोजगार का मुद्दा उठाया जाता है तो संवैधानिक जनादेश की भावना का पालन नहीं करने का बहाना नहीं हो सकता है। इस तरह, राज्य के अधिकारियों ने गलत किया है, इसलिए राज्य पर अनुकरणीय लागत लगाना उचित है क्योंकि राज्य के अधिकारियों से यह जानने की उम्मीद की जाती है कि संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा धारणा होती है। लागत की मात्रा एक लाख रुपये के रूप में निर्धारित की गई है और उक्त राशि में से 50,000 रुपये इस आदेश की प्राप्ति से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में जमा किए जाएं तथा शेष 50,000 रुपये अपीलकर्ता/बिनीता कुमारी को दिए जाएं, जिन्हें आरंभ में नियुक्ति के बाद काफी कष्ट सहना पड़ा तथा बाद में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उनकी सेवा समाप्त कर दी गई।

17. उपरोक्त तरीके से, वर्तमान एल.पी.ए. का निपटान किया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

शहजाद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।